न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 4114/III/2013 विरूद्व आदेश दिनांक 30–03–1993 – पारित – कलेक्टर, जिला टीकमगढ,म0प्र0 – प्रकरण क. 8/अ–19/1992–93

1– बारेलाल पुत्र सूके काछी

2– मोहन पुत्र सूके काछी मृतक वारिस

श्रीमती हरवाई पत्नि स्व0मोहन काछी

3– गोविन्दसिंह पुत्र शिवराज सिंह सिसोदिया

तोनों निवासी मामोन दरवाजा टीकमगढ़

विरूध्द

––आवेदकगण

1– भागीरथ तिवारी पुत्र प्रभूदयाल तिवारी

निवासी ग्राम गहरवार जिला छतरपुर

हाल निवासी जानकीवाग तिराहा

तहसील व जिला टीकमगढ़ म.प्र.

4– मध्य प्रदेश शासन

––अनावेदकगण

आवेदकगण के अभिभाषक श्री कुंअरसिंह कुशवाह

अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.श्रीवास्तव

आदेश

(आज दिनांक 10–4 – 2014 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर,जिला टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 08/अ–19/1992–93 में पारित आदेश दिनांक 30–03–1993 के विरूद्व आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के बिना म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत दिनांक 18–11–13 को प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण का सारॉश यह है कि निगरानी मेमो में आये तथ्यों अनुसार अनावेदक क–1 व्दारा आत्मसमर्पित दस्यु होने की प्रार्थमिकता के आधार पर

कलेक्टर टीकमगढ़ से कृषि भूमि आवंटित किये जाने की मांग की, जिस पर कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 08 अ–19/1992–93 पंजीबद्व किया एंव आदेश दिनांक 30–03–1993 से ग्राम मोहनपुर की भूमि खसरा नंबर 227/234/4 कुल 3.884 हैक्टर एंव ग्राम मामौन की भूमि खसरा नंबर 215/882/2 रकबा 2.226 हैक्टर दोनों ग्रामों के कुल किता 2 कुल रकबा 6.110 हैक्टर का आवंटन कर दिया। कलेक्टर टीकमगढ़ के उक्तादेश के कम में तहसीलदार टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 01/अ–19/1889–90 में आदेश दिनांक 28–7–93 से अनावेदक क–1 को पटटा प्रदान किया। कलेक्टर टीकमगढ़ के उक्तादेश दिनांक 30–3–1993 के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ दिनांक 20.3.14 को प्रकरण बहस हेतु नियत रहा, इस दिन अनावेदक के अभिभाषक श्री एस.के.श्रीवास्तव ने आवेदन प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख मॅगाने की प्रार्थना की, जिसे अमान्य किया गया एंव उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव निगरानी मेमो के तथ्यों तथा निगरानी मेमो के संलग्न प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि यह निगरानी कलेक्टर,जिला टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 08/अ–19/ 92–93 में पारित आदेश दिनांक 30–03–1993 के विरूद्व प्रस्तुत की है किन्तु इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की है अपितु आदेश की फोटो कापी प्रस्तुत की है। प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत न करने के बचाव में आवेदकगण ने संहिता की धारा 48 का आवेदन देकर बताया है कि प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु 5–10–12 को आवेदन दिया, एक वर्ष तक नहीं मिलने पर पुनः सूचना के अधिकार के अंतर्गत आवेदन दिया गया, फिर भी प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं मिली, किन्तु पुष्टिकरण में उन्होंने प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु दिये आवेदन की प्राप्ति रसीद अथवा सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन की पावती की रसीद प्रस्तुत नहीं की है जिससे आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत न कर सकने के तथ्य पर अथवा मुक्ति दिये जाने के तथ्य पर विचार किया जा सकता। म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 48 में

स्पष्ट किया गया है " याचिका (अर्जी) के साथ उस आदेश की प्रतिलिपि होगी, जिसके कि संबंध में आपत्ति की गई है, प्रमाणित प्रतिलिपि होगी, जब तक की ऐसी प्रतिलिपि के पेश किये जाने से अभिमुक्ति न दे दी गई हो।" स्पष्ट है कि आवेदक के अभिभाषक व्दारा समाधान नहीं कराये जाने से उनके व्दारा संहिता की धारा 48 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपि की मुक्ति का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को के कम में विचार योग्य बिन्दु यह है कि आवेदकगण ने कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 08/अ–19/ 1992–93 में पारित आदेश दिनांक 30–03–1993 के विरूद्व इस न्यायालय में निगरानी 18–11–2013 को प्रस्तुत की है, अर्थात निगरानी 20 वर्ष 07 माह से अधिक अवधि वाद प्रस्तुत की है। आवेदकगण की ओर से विलम्ब क्षमा करने हेतु अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बताया गया है कि तहसीलदार व्दारा पटटा जारी करने के दिनांक 28–7–93 की जानकारी आवेदकगण को नहीं हो सकी, क्योंकि उन्हें तहसीलदार ने पक्षकार नहीं बनाया था। अनुमानतः यदि अनावेदक क–1 को वर्ष 1993 में ग्राम मोहनपुर की भूमि खसरा नंबर 227/234/4 कुल 3.884 हैक्टर एंव ग्राम मामौन की भूमि खसरा नंबर 215/882/2 रकबा 2.226 हैक्टर दोनों ग्रामों के कुल किता 2 कुल रकबा 6.110 हैक्टर का आवंटन हुआ है एंव कब्जा प्रदान किया गया है (आवेदकगण ग्राम मामोन की भूमि सर्वे नंबर 215/882/2 के रकबा 4.00 एकड़ पर पटटे के पूर्व से भूमिस्वामी स्वत्व होना व स्वयं् का कब्जा होने का तथ्य बताते हैं) अनावेदक क–1 के पटटा प्राप्ति उपरांत व कब्जा लेने के उपरांत इतनी लम्बी अवधि तक चुप क्यों रहे, समाधान नहीं करा सके हैं। अतएव निगरानी अवधि–वाह्य पाई गई है।

6/ यदि आवेदकगण व्दारा बताये अनुसार अनुमान के आधार पर यह अंदाजा लगाया जावे कि हो सकता है उन्हें अथवा उनके अन्य अग्रजों को ग्राम मामोन की भूमि सर्वे नंबर 215/882/2 के रकबा 4.00 एकड़ का पटटा मिला था, जांच का विषय है कि जब तक शासकीय अभिलेख में भूमि शासन की दर्ज न हो, अभिलिखित भूमिस्वामी की भूमि किसी अन्य को आवंटित नहीं की जा सकती। और

इन्हीं तथ्यों को विचार में रखते हुये कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा इसी विषय वस्तुत से सम्बन्धित अन्य प्रकरण कमांक 181/बी–121/2012–13 में अंतरिम आदेश दिनांक 19–08–2013 से वादग्रस्त भूमि के बन्टन की स्थिति एंव पटटे के सत्यापन आदि तथ्यों की जांच कराने का निर्णय लिया है एंव जांच हेतु प्रकरण तहसीलदार टीकमगढ़ को भेजा है। जांच के दौरान तहसीलदार टीकमगढ़ के समक्ष प्रत्येक हितबद्व पक्ष को अपना–अपना पक्ष प्रबल रूप से रखने, लेखी/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने एंव बचाव करने का समुचित अवसर प्राप्त है जिसके कारण निगरानी–अधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि का अभाव होने के कारण एंव बेरूम्याद प्रस्तुत होना पाये जाने से गुणदोष पर विचार योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ का संभावित प्रकरण कमांक 08/अ–19/1992–93 एंव उसमें पारित आदेश दिनांक 30–03–1993 जांचाधीन होने से निगरानी में विचार–योग्य नहीं है। अतएव उपरोक्त पद–5 में की गई विवेचना एंव निष्कर्षो के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मंडल
मध्य प्रदेश ग्वालियर